

CST registration certificate can be downloaded after login (refer Fig 1). The sample certificate is attached below (Fig 2).

The procedure can be accessed at http://comtax.up.nic.in/Circulars/2013-14/Circular_no_1314048.pdf




Fig 1

CST REGISTRATION CERTIFICATE


व्यापार कर विभाग उत्तरप्रदेश
केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण तथा विक्रय-धन) नियमावली, 1957
रूप-पत्र (बी) देखिये नियम 5(1)
पंजीयन का प्रमाण-पत्र

केन्द्रीय पंजीयन राशि **LW 5090988**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री ARIHANT ELECTRIC COMPANY का, जिनके कारोबार का उत्तर प्रदेश में मुख्य स्थान 14, CORPORATION FLAT, FAIZABAD ROAD, LKO में है, पंजीयन व्यापारी के रूप में केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 7(2) के अधीन कर लिया गया है।

कारोबार
पूर्वतः आयात एवं बिक्री
मुख्यतः
अंशतः

उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और (3) के प्रयोजनों के लिये निर्दिष्ट वस्तुओं की श्रेणी/श्रेणियां निम्नलिखित हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिलसिले में व्यापारी के हाथ इनकी बिक्री पर उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दर पर उक्त धारा की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन कर लागू :-

(क) पुनर्विक्रय के लिये

ELECTRICAL GOODS

(ख) विक्रयार्थ माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिये
(ग) खनन में उपयोग के लिये
(घ) विद्युत या किसी अन्य प्रकार की शक्ति के उत्पादन या वितरण में उपयोग के लिये
(ङ) विक्रयार्थ / पुनर्विक्रयार्थ माल को पैकिंग में उपयोग के लिये

व्यापारी निम्नलिखित वस्तुओं की श्रेणियों का उत्पादन, निर्माण या खनन कर के निस्तारण करता है या निम्न प्रकार की शक्ति का उत्पादन या वितरण करता है।
व्यापारी अपना वार्षिक हिसाब-किताब APRIL TO MARCH तक रखता है,
व्यापारी के कारोबार का कोई दूसरा स्थान नहीं है / के और दूसरे स्थान है, जो नीचे दर्ज है :-
यह प्रमाण-पत्र तारीख 15/03/2004 से उक्त समय तक मान्य रहेगा, जब तक इसे रद्द न कर दिया जाये।

तारीख  17/03/2004

हस्ताक्षरित 
व्यापार कर अधिकारी

Fig 2